संख्या- 83/2017/2285/33-3-2017/245/2017

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मंडलीय उपनिदेशक **(**पं**.),** उ**0**प्र**0**।

2. समस्त अपर मुख्य अधिकारी**,** जिला पंचायत**,** उ**0**प्र**0**।

पंचायतीराज अनुभाग**-3** लखनऊ दिनांक **27** सितम्बर**, 2017**

विषय**:-** वर्ष **2015-16** से वर्ष **2017-18** तक ग्राम पंचायतों में संचालित कार्यक्रमों का तकनीकी परीक्षण कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को सीधे रूप से धनराशि हस्तांतरित किये जाने एवं उनके द्वारा बढे हुए दायित्वों के निर्वहन के क्रम में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सैम्पलिंग के आधार पर ग्राम पंचायतों को चयनित करते हुए तकनीकी परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है।

उक्तानुसार विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में सबसे अधिक आबादी की कुछ ग्राम पंचायतों को चिन्हित करते हुए 3 वर्षों के कार्यों का तकनीकी परीक्षण कराये जाने के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. प्रत्येक जनपद में सबसे बड़ी आबादी की ग्राम पंचायतों के अवरोही क्रम में 11वें एवं 12वें नम्बर पर उपलब्ध ग्राम पंचायत का तकनीकी परीक्षण का कार्य शासन द्वारा निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों के अनुरूप मंडल स्तर पर किया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक जनपद की 11वें एवं 12वें नम्बर पर उपलब्ध ग्राम पंचायतों अर्थात् कुल 150 ग्राम पंचायतों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

2. उक्त रूप से बड़ी आबादी के अवरोही क्रम में 11वें एवं 12वें नम्बर पर उपलब्ध दो ग्राम पंचायतों के परीक्षण हेतु उपनिदेशक(पं.) के साथ मंडलीय जनपद के जिला पंचायत के अभियंता द्वारा एक टीम के रूप में कार्य तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

http://shasnadeshup.nic.in

4. तकनीकी परीक्षण में पंचायती राज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 14वें केन्द्रीय वित्त, चतुर्थ राज वित्त एवं स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.) के अन्तर्गत हस्तान्तिरत धनराशि से किये गए निर्माण/मरम्मत एवं रखरखाव का परीक्षण किया जाएगा।

5. मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), पंचायतों में पूर्ण कराये गए एवं निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण करते हुए उच्च कोटि की गुणवत्तायुक्त सामग्री के उपयोग, मजदूरी दिवसों, मजदूरी, भुगतान का निरीक्षण, आगणन, माप पुस्तिका आदि के अभिलेखों का निरीक्षण के साथ आदेशित कार्यों/घटकों की जाँच करेंगे एवं कार्य स्थल पर पायी गई कमियों, सुझावों का अंकन अपने साथ रखी गयी परीक्षण पंजिका में अंकित करेंगे, जिस पर परीक्षण के समय उपस्थित ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराए जाएगें। अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाने वाली आख्या में परीक्षण पंजिका की प्रति सम्मिलित की जाएगी। परीक्षण हेतु ग्राम पंचायत में उपयाग की जाने वाली जांच सूची संलनक-2 पर उपलब्ध है।

6. परीक्षण का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्णकर आख्या अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 को प्रस्तुत की जायेगी।

7. परीक्षण हेतु ग्राम विकास विभाग के तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ के मैन्युअल(छायाप्रति संलग्नक-3) में प्राविधिक परीक्षक के निरीक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

8. वित्तीय अनिमियता की दशा में विधिक नियमों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय कार्यवाही जिलाधिकारी, मंडल स्तरीय कार्यवाही मंडलायुक्त एवं शासन स्तर से कार्यवाही हेतु आख्या अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को अग्रसारित की जाएगी।

अत: उक्त निर्देशों के अनुरूप प्रदेश की 150 ग्राम पंचायतों के 3 वर्षों के कार्यों का तकनीकी परीक्षण कराने सम्बंधी शासन द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए परीक्षण आख्या एक सप्ताह में शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उक्तानुसार।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी**)**
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक- तदैव</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।

http://shasnadeshuo.nic.in

4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
7- समस्त मंडलायुक्त, उ.प्र.।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshuo.nic.in

मंडलीय उपनिदेशक (पं.) के द्वारा ग्राम पंचायत के परीक्षण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली जॉच सूची

1. ग्राम पंचायत को विभिन्न स्रोतों से तीन वर्षो में प्राप्त होने वाली धनराशि (रू. लाख में)-
2. प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्षवार वार्षिक कार्ययोजना में लिए गए कार्य-
3. वार्षिक कार्ययोजना की प्लान-प्लस पर अपलोड किए जाने की स्थिति-
4. वार्षिक कार्ययोजना में लिए गए कार्यो के सापेक्ष वर्षवार विकसित आई.डी. के सापेक्ष एक्शन-साफ्ट साफ्वेयर पर किए गए कार्यो का विवरण-
5. प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत की माहवार एवं वार्षिक पुस्तिका बंदी की स्थिति-
6. योजना के अनुसार लिए गए कार्यो के सापेक्ष तकनीकी अनुमोदन एवं कार्य का प्राक्कलन की उपलब्धता-
7. वर्षवार व्यय धनराशि के सापेक्ष मौके में निर्मित पाए गए एवं निर्माणधीन कार्यो का विवरण-
8. व्यय की गई धनराशि के बिल-वाउचर एवं भुगतान हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया-
9. निर्मित परिसम्पत्तियों की जीओ टैंगिंग एवं नेशनल एसेट डायरेक्ट्री में फीडिंग की स्थिति-
10. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.) के लाभार्थियों के निर्मित शौचालय का सत्यापन-
11. शौचालय निर्माण की धनराशि का लाभार्थी तक पहुंचाने की स्थिति एवं माध्यम-
12. निगरानी समिति की सक्रियता एवं स्वच्छाग्रहियों के मानदेय की पुष्टि-
13. निर्माण कार्य हेतु लगाए गए मिस्त्रियों की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण।
14. शौचालय की जीओ टैगिंग।
15. स्कूल स्वच्छता एवं आँगनबाड़ी स्वच्छता की कार्ययोजना एवं प्रगति स्थिति।
16. पेयजल हेतु रिबोर हैंडपंप/ मरम्मत हैंडपंप की कार्ययोजना की प्रगति स्थिति।

http://shasnadeshuo.nic.in